न्यायालय, मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी/राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

1–निगरानी संख्या– 18 /2015–16 अन्तर्गत धारा–56 (4)स्टाम्प अधिनियम

न्यू ड्रीम लैण्ड एस्टेट, 74ए, राजपुर रोड, देहरादून द्वारा प्रॉपराईटर श्री विनय छाबड़ा पुत्र डी0आर0 छाबड़ा, निवासी–6/16 ईस्ट पटेल नगर, दिल्ली।

बनाम

कलेक्टर, स्टाम्प/ अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, देहरादून।

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री एम0एम0 लाम्बा।

आदेश।

यह निगरानी निगरानीकर्ता उपरोक्त ने कलेक्टर, स्टाम्प/अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, देहरादून द्वारा वाद संख्या–40/12–13 अन्तर्गत धारा–33 स्टाम्प एक्ट सरकार बनाम ड्रीम लैण्ड स्टेट में पारित आदेश दिनांक 11–05–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

मैंने निगरानी की ग्राह्यता के सम्बन्ध में निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि पूर्व में दिनांक 26–12–2012 को पारित एकपक्षीय आदेश के विरूद्ध उनके द्वारा एक पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 03–03–2014 को अवर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसे ग्रहण कर आदेश दिनांक 26–12–2012 के प्रभाव को स्थगित करते हुए सुनवाई हेतु तिथियां नियत की गई एवं दिनांक 25–11–2014 को पक्षकारों की बहस सुनने के उपरान्त आदेश हेतु दिनांक 06–12–2014 नियत की गई लेकिन इसके पश्चात कोई आदेश न पारित करते हुए लगभग 2 वर्ष 6 माह पश्चात दिनांक 11–05–2015 को यह कहते हुए कि विपक्षी द्वारा एकपक्षीय आदेश के सापेक्ष स्थगन आदेश पारित होने के पश्चात से सुनवाई हेतु उपस्थित नही हो रहे है ऐसी स्थिति में वाद में पूर्व आदेश को यथावत रखा जाता है। आदेश पारित किया गया।

प्रस्तुत अभिलेखों से स्पष्ट है कि आलोच्य स्टाम्प प्रकरण में प्रस्तुत पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र पर दिनांक 25–11–2014 को पक्षकारों की बहस सुनने के उपरान्त आदेश हेतु 16–12–2014 की तिथि नियत की गई लेकिन नियत तिथि को कोई आदेश पारित नही किया

गया एवं लगभग 2 वर्ष 6 माह पश्चात विपक्षी/निगरानीकर्ता को बिना सुने ही आक्षेपित आदेश दिनांक 11–05–2017 से पूर्व आदेश दिनांक 26–12–2012 को यथावत रखा गया। यह स्पष्ट है कि दिनांक 25–11–2014 को जिस पीठासीन अधिकारी द्वारा पक्षकारों की बहस सुनी गई उनके द्वारा नियत अवधि के अन्दर आदेश पारित नही किया गया जो आक्षेपित आदेश दिनांक 11–05–2017 को जिस पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित किया गया है उनके द्वारा पक्षकारों की बहस नही सुनी गई है जो एक विधिक अनियमितता है। इतनी लम्बी अवधि के पश्चात आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व पक्षकारों को पुनः सुना जाना आवश्यक था ऐसा न कर विद्वान कलेक्टर, स्टाम्प ने विधिक एवं तात्विक अनियमितता की है। तद्नुसार निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही स्वीकार करते हुए आक्षेपित आदेश दिनांक 11–05–2017 को अपास्त कर स्टाम्प वाद स्टाम्प वाद पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र पुनर्जीवित कर विद्वान कलेक्टर, स्टाम्प/अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, देहरादून को इस आशय से प्रेषित किया जाता है कि वे निगरानीकर्ता को पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र पर पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही उसका निस्तारण करें। पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक पूर्व में पारित आदेश दिनांक 26–12–2012 का प्रभाव स्थगित रहेगा। पक्षकार दिनांक 28–07–2017 को अवर न्यायालय में उपस्थित हो। न्यायालय पत्रावली संचित हो।

दिनांक :– 04–07–2017

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)/ मुख्य नियंत्रक,
राजस्व प्राधिकारी।